



प्रेस विज्ञप्ति
18.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स आरपीडीपीएल) के मामले में 255.28 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स आरपीडीपीएल, उसकी समूह कंपनियों और निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के विभिन्न भूखंड/भूमि और आवासीय फ्लैट/व्यावसायिक भवन शामिल हैं।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स आरपीडीपीएल और उसके प्रमोटरों ने वादा किए गए फ्लैट और प्लॉट तय समय सीमा के भीतर, यहाँ तक कि 10-14 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, देने में विफल रहने के कारण कई घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी/जालसाजी की है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स आरपीडीपीएल ने 2008-2011 में गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92, 93 और 95 में स्थित प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट लॉन्च किए और लॉन्च के 3-4 साल के भीतर फ्लैटों/प्लॉट की गई जमीनों पर कब्जा देने का वादा किया गया था। ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स आरपीडीपीएल ने उक्त परियोजनाओं के लिए 2600 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 1100 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। मेसर्स आरपीडीपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों ने घर खरीदारों से एकत्र किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये को अपने समूह की कंपनियों को जमीन के टुकड़े आदि खरीदने के लिए अग्रिम के रूप में दे दिया, बजाय इसके कि वह वादा किए गए घरों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करे, जिसके कारण अंततः आज तक फ्लैट और प्लॉट देने में विफलता हुई।

इससे पहले इस मामले में, ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 21.07.2025 को मेसर्स आरपीडीपीएल के दोनों निदेशकों और बहुसंख्यक शेयरधारकों अरविंद वालिया और संदीप यादव को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं।

इसके अलावा, ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप मेसर्स आरपीडीपीएल, उसकी समूह कंपनियों और निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों की लगभग 572.21 करोड़ रुपये की विभिन्न बैंक बैलेंस, चल संपत्ति और अचल संपत्तियों को कुर्क/फ्रीज किया गया। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 827.49 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है।

आगे की जाँच जारी है।